VAAGDHARA

वातें

वाग्धारा नी

मई, 2020

VAAGDHARA

हम है रक्षक, हम है पोषक हम संरक्षक प्रकृति के, आदि अनादी हम अविनाशी हम संवाहक सृष्टि के, परहित चिंतन मनन हमारा हम पुरोधा समष्टि के, वसुधा के हित जीवन अपना हम राही सुख समृद्धी के

प्रिय सम्माननीय साथियों,

मेरे आदिवासी कृषक भाईयों, बहनों व प्यारें बच्चों हम शुरू कर रहे है वातें वाग्धारा की और वो भी उस समय में जब कोरोना जैसी महामारी से व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना भी मुश्किल हो गया है। परन्तु वाग्धारा संवाद में हमेशा विश्वास रखता है व अपने आप को रोके रहना कठिन प्रतीत होने लगा व शुरू हुई कलम चर्चा की, पूर्व के चर्चाओं के परिणामों और चर्चा भविष्य के चिन्तन की।

यह पत्रिका केवल मात्र पत्रिका न होकर आपके अपने प्रयासों के लिए कड़ी जोड़ने का माध्यम है जो समाज, गॉव, फले में सुदूर स्थित होकर विकास की दिन-प्रतिदिन की चर्चाओं में भागीदारी निभाने में असमर्थ व्यक्ति तक पहुँच का प्रयास भी है।

पिछले दो से ज्यादा दशकों से प्रयासरत वाग्धारा और मैं भी जिन्होंने एक गाँव से हजार गाँव और 15 परिवारों से 1 लाख परिवारों तक पहुँचने का प्रयास किया और संवाद को मजबुती देने के लिये प्रयासरत है। इस कड़ी में जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर वाग्धारा के विभिन्न साथी और हमारे सक्षम समूह की महिलाओं से लेकर ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के सदस्यों या जनजाति स्वराज संगठन के पदाधिकारी हो, वे सभी अनवरत विकास के आयामों को गढ़ने के लिये अपने-अपने क्षेत्र को विकास का उदाहरण बनाने के लिए प्रयासरत व संघर्षरत है। वाग्धारा ने जनजातीय क्षेत्र की परम्परा और पहचान के साथ गाँधीजी के स्वराज की सीख व देश, दुनिया तथा जिले के तकनीकी जानकारों से संवाद स्थापित करते हुए क्षेत्र के लिये उपायों, सुझावों और प्रयोगों को समुदाय के साथ मिलकर सार्थकता के पैमाने को जाँचते हुए किस प्रकार लाभकारी हो सकें इस हेतु आपके साथ प्रयास किया है और आगे भी करता रहेगा।

चूँकि 1 लाख परिवारों तक चर्चा को सही तरीके से पहुँचाना 1000 गाँवों में समुदाय का नियमित सोचना, प्रयासरत होना व परिवार स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को आपस में समुह स्तर पर, समुह से आगे संगठन स्तर पर व कार्यकर्ता तक पहुँचाने में हमारी मासिक बैठकें महत्वपूर्ण थी। उक्त चैपाल की बैठकों में सक्षम समुह के साथ की चर्चा करें, तो किस माह में क्या कार्य करना है चाहे बीज हो, मिट्टी हो, पानी हो, जानवर हो या हमारे त्यौहार, त्यौहारो के साथ इन पाँच घटकों का सम्बन्ध और आने वाली पीढ़ियों पर इनका प्रभाव हो।पोषण की चिन्ता हो या उनकों दुर करने का परिवार स्तर पर प्रयास हो, बीज की चिन्ता हो या हमारे बाप-दादाओं के बीज को संभालने के तरीके हो, जानवर को जानवर न मानते हुए परिवार के सदस्य के रूप में ख्याल करने के संस्कार हो ओर तो ओर एक-दुसरे के मदद की चिन्ता हो।

इसी प्रकार ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति की समस्याओं पर चिन्तन, मनन, मंथन और गाँव के प्रत्येक बच्चों को चिन्हित करते हुए उसके विकास, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व मजदुरी में जाने से रोकने हेतु बच्चों व उनके परिवार की मदद की आवश्यकता को समाज या सरकार स्तर पर किस प्रकार जोड़ा जा सकें ताकि उक्त समस्याएँ नहीं बढ़ पाये। गॉव के संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए गॉव विकास की योजना के रूप में देखने के लिये प्रयास किया जाता रहा है। ओर तो ओर गाँव के ऊर्जावान स्वयंसेवकों द्वारा गाँव की जरूरतमंद जैसे- वृद्धा, विकलांग, विधवा या पालनहार बच्चें अथवा और भी कोई जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके व इस हेतु प्रयास किया जाता रहा है तथा उक्त प्रयासों को मजबुती के साथ किस प्रकार अच्छे से किया जा सकें इसके लिये बैठकें महत्वपूर्ण रही है।

कोरोना की महामारी के कारण बैठकों पर अल्प-विराम या कुछ समय तक के विराम के कारण इस पत्रिका के माध्यम से जोड़ने के लिये विशेष रूप से समय की माँग हुई ताकि समाज का वंचित, पलायित, होके आया मजदुर या विधवा या विकलांग, पालनहार बच्चे हो या अल्प संसाधनों के साथ प्रयास करने वाला किसान हो उन सभी के सबसे जरूरतमंद समय में पहचाना जा सके और जो प्रयास हम हमारी मासिक बैठको में करते थे उसे हम हमारे सक्षम समूह, ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति, जनजाति स्वराज संगठनों के पदाधिकारी और 1 लाख परिवारों तक इस पत्रिका को स्वावलंबी के माध्यम से पहुँचायी जा सकें ।

यह पत्रिका हमारी जिम्मेदारियों को बताने का प्रयास करेगी जिसमें की परिवार संगठन व समाज आगामी समय में किस प्रकार प्रयास करेगा आने वाले माह में कृषि व पोषण की सुरक्षा के लिए क्या कार्य किए जाए, गॉव के प्रत्येक बच्चे का भविष्य सुरक्षित किस प्रकार किया जाए व किस प्रकार सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए जिससे गाव व समाज का भविष्य सुरक्षित हो।

यहाँ हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हमारी बातें हमारी चर्चा और प्रयासों, प्रयोगों,सीखो, साथ ही सरकारी योजनाओं को समाज के उस सबसे जरूरतमंद तक कितना कैसे पहुँचा पाते है। जहा तक मै मानता हुँ इस पत्रिका के पहले अंक के ऊर्जावान पाठकों ने पहले भी समाज के लिए निरन्तर प्रयास किये है और पाठकों में विभिन्न समूह महिला समूह, सक्षम समूह, ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति , जनजाति स्वराज संगठन अथवा वाग्धारा के जमीनी कार्यकर्ता या पदाधिकारी प्रयास करने में सम्मिलित है उनसे मैं आग्रह करना चाहुंगा कि पत्रिका से प्राप्त सूचना, जानकारी अधिक से अधिक सदस्यों , साथियों व समुदाय तक पहुँचाए।

साथियों यह पत्रिका का प्रथम अंक है किसी किताब का पहला पन्ना है और किताब अभी बाकी है। किताब के अगले अध्याय और उसके अन्दर का विषय तभी सम्भव हो पायेगा जब हम पत्रिका की सामग्री को जरूरतमंद व समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाएं।

हमारा प्रयास रहेगा कि जमीनी स्तर के प्रयासों को भी निरन्तर संकलित कर पत्रिका के माध्यम से व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाए। इसलिये आप लोगों का निरन्तर पत्रिका के लिये जुड़ाव - सुझाव व सामग्री भी महत्वपूर्ण रहेगी। यह आपकी पत्रिका'वातें वाग्धारा की' केवल मात्र एक पत्रिका न होकर के विकास की बातें है, परम्परा की बाते है, सम्मान की बाते है, अधिकारों की बातें है, जिम्मेदारियों की बातें है और आपकी बातें हैं । वाग्धारा तो केवल मात्र इन बातों को शुरू कराने का माध्यम है और माध्यम ही रहेगा। यह चर्चा (वातें) आपसे शुरू होकर आप तक रहेगी इसे साकार व परिणामपरक् बनाने के लिए अपेक्षा, आकांक्षा और आपको शुभकामनाएँ.....

आपका

जयेश जोशी

वाग्धारा, कुपड़ा (बाँसवाड़ा)

गाम वना घोर नी, अने खेती वना ठोर नी

हम बात करते है सच्ची खेती की सच्ची खेती वह खेती है जो हमारे आदिवासी जीवन शैली व परम्परा का वह उदाहरण है, जिसमें हमारी खेती किसी पर निर्भर न हो कर आत्मनिर्भर रहे और उस परिवार को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे।

हमारी आत्मनिर्भरता हमारी परम्पराओं के साथ झलकती थी। जिसमे कि हमारे मवेशियों का संवर्धन जंगल के साथ,हमारी पहचान मिट्टी से हमारी अस्तित्व कि पहचान और तो और हमारे मवेशियों के अपशिष्ट (उकरडा) को बखुबी पूजन में स्थान दिया।

परन्तु जीवन और दुनिया के बदलते दौर और बाजारीकरण के इस दौर में हमें दुनिया की तरह हमारी परम्पराओं से दुर किया। जिसमें हम लोग हमारी पहचान, हमारे जंगल, जानवर ,जमीन और बीज को भी भुला बैठे है, और हम हमारे भोजन और पीढ़ियों के पोषण के लिए बाजार पर निर्भर होते चले गये और हमने हमारे बीजो को व्यापार के लिए छोड दिया जिसका खामियाजा पिछले एक

याने पशु पालन को कभी अलग नही मानते थे और मानना भी नही चाहिए क्योकि सच्ची खेती के अन्दर इसका घटक है तो सच्ची खेती के अन्दर पशुपालन का बहुत बडा महत्व है। इसमें खेती और पशुपालन दोनो एक दुसरे के पूरक है एक घटक याने खेती(कृषि) का जो कचरा है वह दुसरे घटक याने पशुपालन के लिए आवश्यकता सामग्री हो सकती है। पशुपालन से जो गौमुत्र, गोबरहै वह इसका कच्चा माल है लेकिन खेती के लिए अच्छी चीज खाद के रूप में उसका उपयोग है भूमि कि उर्वरकता बनाए रखने के लिए काफी उपयोगी है। जैसे खेती से जो निकल रहा है मक्की का डंठल, गेहुँ का भुसा, ज्वार, मुंग, उडद, सोयाबीन कि चरी यह सब चीज निकल रही है वो जमीन के लिए कचरा हो सकता है लेकिन पशुओ के लिए उसकी खुराक है इस हिसाब से यह एक दुसरे का पुरक माना गया है।

पशुपालन हमारे लिए पुजनीय है अतः जनजातीय जीवन को संरक्षित रखने के लिए

हमारे सुरक्षा का आधार हमारी सच्ची खेती

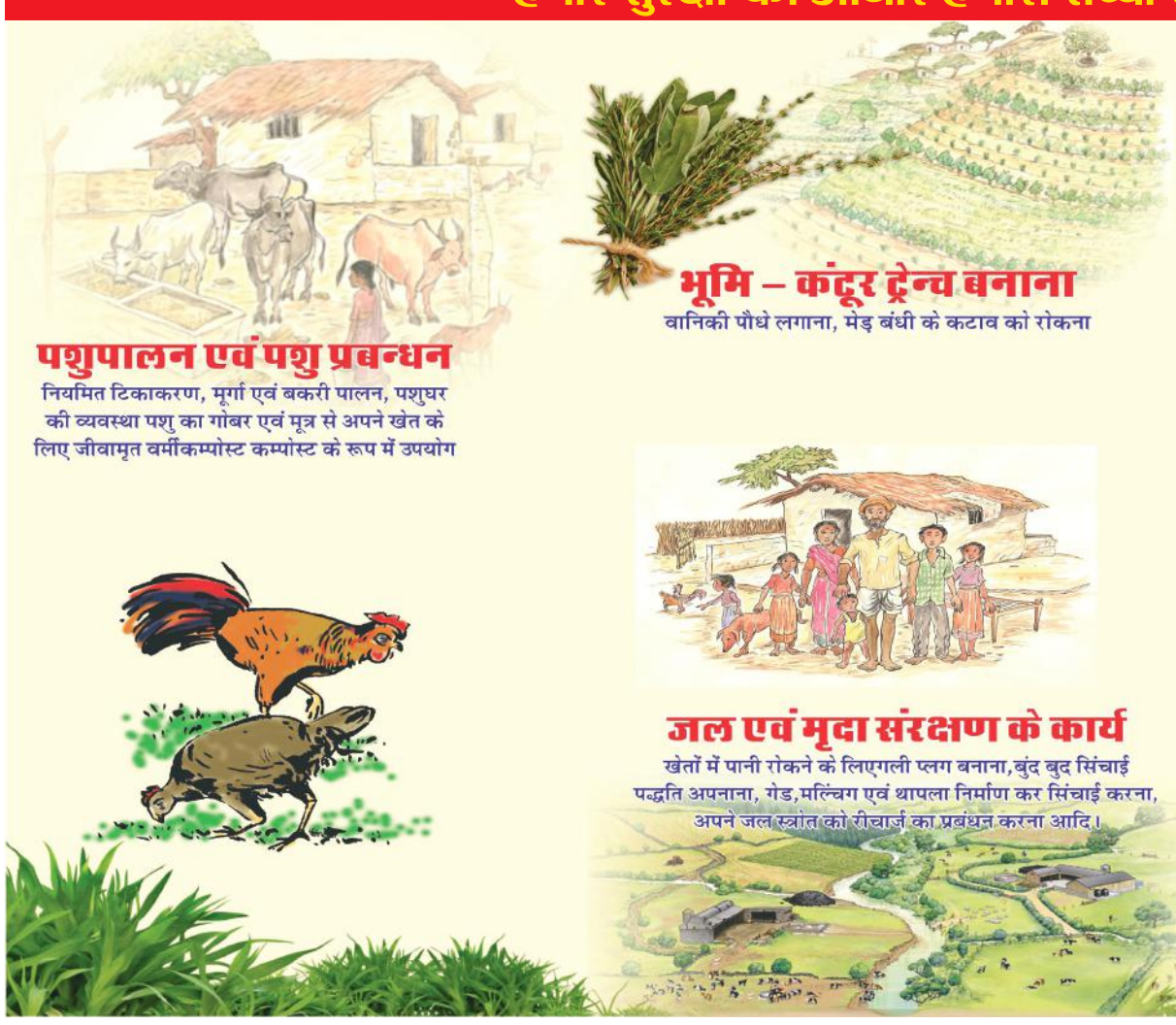

सें दो दशको में हमें देखने को मिल रहा है। सच्ची खेती तो वह खेती है, जिसमें उपज किस प्रकार से हमें अधिक से अधिक मदद दे पाये ना कि बाजार को। जैसे कि हमारे खाने के काम में आने या हमारे मवेशियों के भोजन का हिस्सा होना अथवा हमारी पीढ़ियों कि लिए पोषण का माध्यम बनना न केवल तत्काल गैर उपयोगी मात्र व्यापार के लिए उत्पादन करना है।

वैसे ही उत्पादन कि प्रक्रिया में भी अगर हमें बहुत अधिक निर्भर रहना होता है जैसे कि जुताई, बीज, खाद्य अन्य तो भी वो सच्ची खेती का हिस्सा कभी नही हो सकती है। इसके लिए तो हमें निर्भरता को खत्म करना होगा और खेती के लिए होने वाले खर्चो की राशि को किस प्रकार परिवार स्तर पर बचा सके वह सोचना होगा।

आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार लाभ हो सके व नुकसान न हो ऐसे तरीके सोचने होगे सच्ची खेती के लिए सीधे तौर पर हमें पाँच चीजो पर ध्यान रखने कि आवश्कता है- 1. जल 2. जंगल 3. जमीन (मिट्टी) 4. जानवर 5. बीज और हमारा परम्परागत ज्ञान

1. जल :- जो कहवात है कि हमें एक-एक बुन्द पानी कि बचा करके रखनी चाहिए तो हमें खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव, फले का पानी फले में और जिसके लिए नालो को और अपने खेतो की मेडो को बाधना, पेडो के थावले को बाधना जहॉ तक हो सके भरी गर्मी में मिट्टी का ढकाव (मल्चिंग) कर, पानी को भाप बनकर उडने से रोकना।

2. जंगल :- हमारी परम्परा में पेड़ों को पूजनीय बताया गया है, कोई भी ऐसी वनस्पति या पेड नही मिल सकता जो किसी भी प्रकार से हमारे परिवार, समाज या पीढ़ियों के लिए काम नही आ सकता। पेडो से न केवल पोषण अपितु मिट्टी कि उर्वरकता के लिए सुखी पत्तियो के द्वारा मिट्टी कि खुराक, मवेशियों के लिए चारा जलाने के लिए लकडी हमारे लिए फल खेती के औजार के लिए लकडी और तो और आम लोगो के लिए छाया भी उपलब्ध होती है।

एक पेड अपने आस-पास की मिट्टी को बांध कर कटाव होने से भी रोकता है इसलिए प्रत्येक परिवार को कम से कम पॉच प्रकार के पाँच पेड़ अपने यहाँ लगाने चाहिए और पानी कि कमी हो तो घर के आस-पास अपनी अपशिष्ट पानी से सिंचित कर उगाने चाहिए पेड़ो में जैसे कि आम, अमरूद ,बेर, बेल, महुआ, टिमरू, सीताफल, कचनार, अडुसा जैसे हमारे स्थानिय पहचान के पेडो को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. जमीन :- मिट्टी को हमारी संस्कृति में मॉ और मॉ का दर्जा दिया जाता है और इसकी पूजा कि जाती है। मिट्टी को बनने में कई साल लगते है। और उसके नुकसान में एक बरसात ही बहुत होती है। बह जाने के लिए हमारे जनजातीय क्षैत्र के ढलाव भुमि पर मिट्टी का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम हमारी पीढ़ियों के लिए संचय करते है क्योकि अगर ऐसे ही मिट्टी बहती रही तो हम हमारी पीढ़ियों के लिए कंकरीले पहाड़ छोड कर जायेगे।

इसके लिए हमने ढलाव जमीन पर हमे नालियो का निर्माण पाले बांधकर खेती और हमारे हेड़ो पर वानिकी पौधे लगाकर हेड़ो को मजबुत करना चाहिए।

मिट्टी का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य से भी महत्वपूर्ण है इसलिए हमें इसकी उर्वरकता हेतु इसमें जैविक पदार्थ का होना महत्वपूर्ण है। जो कि हम देशी खाद के द्वारा कर सकते है तथा जीवा अमृत, वर्मीकम्पोस्ट व कम्पोस्टपीट, मिट्टी पोषण कि उपलब्धता को बरकरार रख सकते है।

4. जानवर :- जनजातीय परिवार एवं संस्कृति बैल, गाय, बकरी, मुर्गी उक्त जानवरों से हमारी पहचान को जोड़ना एवं संरक्षित करना चाहिए जिससे बैल कि जुताई से मिट्टी का कटाव कम होता है। साथ में गाय हमें बैल देती है व अधिकतम दुध देते हुए पोषण कि रक्षा करती है इसी के साथ बकरी जिसे गरीब कि गाय कहा जाता है वह पन्द्रहा माह में दुगनी आय कम खर्च व टिकाऊ आजीविका का सहारा तथा उससे भी उर्वरकता का खाद मिलता है जिससे पोषण कि सुरक्षा होती है। साथ ही मुर्गी पालन जनजातीय जीवन में हमारे कृषि व पशुपालन व घर को कई प्रकार के कडी एवं जीव जन्तु से सुरक्षित रखता है।

5. बीज :- क्या हम हमारे मनुष्य कि सम्पति को बाजार पर निर्भर कर सकते है फिर कृषि क्यो ? बीज की बाजार पर निर्भरता में कमी हेतु हमें घर का बीज घर में फले का बीज फले में गांव का बीज गांव में सुरक्षित रखना होगा क्योकि इस बीज को वातावरण में ढलने के लिए जमाये रखना है। जिससे अधिक वर्षा या कम वर्षा दोनो ही स्थिति में घरों से बच सके, साथ में बीज के लिए बाजार कि निर्भरता कम होने से उक्त प्रकार के सच्ची खेती में पॉच घटको द्वारा आप अपने परिवार कि आमदानी काफी हद तक सुरक्षित कर सकते है तथा परिवारो को आत्म निर्भर बनाने में काफी उपयोगी साबित होगा। दशको पहले बाजार में कोई बीज नही था सभी अपने घर पर ही बीज संचयन या सुरक्षित रखने का कार्य करते थे उस समय बीज खेती बढ़िया होती थी लेकिन बाजार के बीज ने किसान को पंगु (कमजोर) बना दिया है। जब से बीज, खाद, दवाई को लेकर किसान बाजार आधारित हो गया है तब से किसान घाटे में जाता दिखई देता है। अतः सच्ची खेती में किसान को अपना बीज सुरक्षित रखना जरूरी है।

पी.एल. पटेल

थीम लीडर (सच्ची खेती) वाग्धारा

• प्रकृति और पुरुष के संरक्षक •

आज सम्पूर्ण विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। अपने आपको शिक्षित विकसित और समझदार कहने वाले तथाकथित विश्व के अग्रणी देशों ने इस महामारी के आगे घुटने टेक दिए है।

जब हम कोरोना महामारी के विषय में चर्चा करते है और राजस्थान के दक्षिणांचल में बसे जनजातीय बहुल बांसवाड़ा जिले की बात करते है तो ये और भी वंदनीय स्थिति हो जाती है। हमारी जनजाति क्षेत्र का रहन सहन खान पान वो मुख्य आधार है जिनके चलते कोरोना के वार से ये क्षेत्र बचा हुआ है।

दूर दूर रहना स्थानीय पौष्टिक अन्न फल सब्जियों का आहार शुद्ध प्राकृतिक मसालों का नित्य सेवन। साथ ही नीम का दातुन, जंगली तुलसी जैसी अन्य औषधीय वनस्पतियों का सेवन निम्बू को खाना व चूसना ये वो सारी गतिविधियां है जिनसे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है।

आज चारो तरफ प्रत्येक मंच और माध्यम से जिस लोकडाउन सोश्यल डिस्टेनसिंग और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने की बाते की जा रही है उसका पालन तो हमारे जनजाति बंधु सदियों से करते आ रहे है। जनजातीय बन्धुओं से जब कोरोना के संदर्भ में बातचीत हुई और बताया कि आप तो पहले से ही दूर दूर आवासों का निर्माण करके उसमें रहते हो तो ये बात उभर कर आई कि सैकड़ो वर्षों पूर्व मानव जाति पर जब हैजे का प्रकोप आया था और जब उन्होंने ये पाया कि यह एक संक्रामक बीमारी है और मानव से मानव में बहुत तेजी से फैलती है। जब इस भयावहता का पता चला तभी से जनजातीय वर्ग ने अपने रहन सहन आवास प्रवास और खान पान को अपने शरीर और प्रकृति के अनुरूप अपना लिया।

तब से लेकर आज तक उसी जीवन शैली को जीते हुए, सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणास्रोत बन गए है।

इन पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, आर्थिक, वैश्विक समस्याए आई इस बार तो इन पर भूखों मरने तक कि नौबत आ गई। उन्होंने हर परिस्थिति में समस्याओं का सामना करके अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर, अपनी खेती, अपना बीज को सहेज कर अपना और अपने परिवार का पालन किया न की पलायन किया।

आज वागड़ से मजदूरी करने गए लोग जब वापस आरहे है और उनमें से कई लोग संक्रमित निकल रहे है तब मेरे वागड़ के जनजाति बंधु बड़े गर्व से कहते नहीं थकते है कि गान वना घोर नी अने खेती वना ठोर नी आजे अमने आणा प्रकृति अने पुरुष ना सनातनी सगपण ने निभाती ने एनी रक्षा करवा वारा हंगरा व्हाला वागड़वासियों नो घणे मान साधुवाद आभार अने अभिनंदन।

सतीश आचार्य

सुरक्षित बचपन संरक्षित भविष्य

''आज का बचपन कल का भविष्य'' अगर हम आज का बचपन संरक्षित कर लेगें तो हमारा कल का भविष्य सुधार सकते है। और अगर हम सच्चे बचपन की बात करे तो हम उसके साथ सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर पायेगें।

सुरक्षित बचपन अगर हम बच्चों को आज सुरक्षा देते है, जिसमे संरक्षण, पोषण, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सहभागिता जिसमें बच्चों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती हैं परन्तु हमारा क्षेत्र पिछले कुछ सालों मे बाल मजदुरी, अशिक्षा व कुपोषण के लिए जाना जाने लगा हैं। जो कि हमारी और हमारी पहचान के विपरीत हैं और यह समस्या या परिस्थितियाँ केवल आज के लिए नहीं अपितु हमारे भविष्य को नुकसान करेगी।

वाग्धारा का मानना हैं कि सुरक्षित बचपन या बच्चों के जीने का, सुरक्षा का, विकास व सहभागिता का अधिकार न केवल प्रत्येक माँ बाप, परिवार, या सरकार अपितु समाज का भी उतना ही दायित्व हैं। हम वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों के सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से आदिवासी अंचल में भ्रूण हत्या की खबरे सुनने को मिलती हैं, यह हमारी पहचान के विरुद्ध हैं जिस प्रकार से हमारी पहचान के विरुद्ध पुरुषों के अनुपात में महिलाओं का लिंगानुपात कम होना हमारी गैर जिम्मेदारी को भी प्रदर्शित करता हैं।

माँ सन्तुलित भोजन करे, पोषण की सुरक्षा करें तथा बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़े।

पोषण को लेकर केवल मात्र सरकार की जिम्मेदारी मानकर आंगनवाड़ी पर निर्भर रहना और उससे भी पुरा लाभ नही लेते हुए कुपोषित माताएं और बच्चों की संख्या में वृद्धि होना हमारे लिये इतनी ही शर्म की बात है। हमारी परम्पराओं में हमारी खाद्य सामग्री पोषण से भरपुर होने के उपरान्त भी हम बाजार पर निर्भर होने लग गए हैं। जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिये प्रतिगामी हैं, और बच्चों के लिये भी।

इसी प्रकार हम बात करें बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए बाल मजदुरी से दुर करने की जिसमें हम अनभिज्ञ रहते हुए वर्तमान लाभ के लिए बच्चों को मजदूरी के लिए छोड़ देते हैं। जिसका परिणाम बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय के रुप में होता हैं। और वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और समाज में पिछड़ते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में गांव गांव और धाणी धाणी राजकीय विद्यालय व प्रशिक्षित शिक्षक होने के उपरान्त भी हमारे परिवार के, गांव के, फले के बच्चों को शिक्षा की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। तो हम हमारे पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहें हैं, और हमारी जिम्मेदारी व कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं।

6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चें जिसमे बिना लड़के लड़की के भेदभाव के गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए विद्यालय से जुड़ाव सुनिश्चित हो।

सुरक्षित बचपन की शुरुआत सुरक्षित माँ बाप से होती हैं। युवा माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि माँ पूर्ण रुप से वयस्क हो व स्वस्थ हो जिससे की होने वाले बच्चें को पुरा पोषण मिले व माँ तथा बच्चा दोनो स्वस्थ हो।

- परिवार, समुदाय, ग्राम विकास बाल अधिकार समिति व ग्राम पंचायत सबको मिलकर सामुदायिक जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को विकास के सभी अवसर प्राप्त हो और वे अपने, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश और अपने विश्व के विकास के भागीदार बन सकें।
- ग्राम चैपाल के माध्यम से अपने गांव में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये अपने गांव को सबसे उपयुक्त स्थान बनायेगें जिससे वे भी विकास में साथ चलें।
- हमारे गांव के प्रत्येक बच्चों का जिसमें बिना लड़के लड़की के भेदभाव के मानसिक विकास के लिये उम्र अनुसार आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, माँबाड़ी, पाठशाला से जुड़ाव सुनिश्चित हों, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो व पलायन (दुसरे शहरों में काम पर जाना) से रोकते हुए बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवा सकें।

ग्राम विकास बाल अधिकार समिति की यह जिम्मेदारी है की ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा बाल विकास के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र बच्चों को चिंह्नित कर लाभान्वित करवाना।

- सभी बच्चों का उपयुक्त शारिरिक विकास हो उसके लिये उन्हे सन्तुलित आहार को ध्यान मे रखते हुए गांव व परिवार आधारित पोषण सुरक्षा कैसे की जाए व पोषण हेतु दुसरों पर निर्भरता किस प्रकार कम की जाए इस हेतु प्रत्येक परिवार प्रयास करें।
- बच्चों में कुपोषण ना हो उसके लिये पोषण विविधता को पुर्नजीवित करने के लिये परम्परागत फसलों की पहचान बीजों का संग्रहण व उनका प्रचार प्रसार करें।
- लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना व ना ही होने देना तथा बाजार के प्रभाव में आकर भ्रूण हत्या जैसी किसी भी गतिविधी को हमारे क्षेत्र में नहीं होने देने के लिये प्रयास करें।
- बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिये गांव के सभी युवक युवतियों को जागरुक करके उन्हे संगठित करना।

आदिवासी संस्कृति एवं परम्पराओं को अपने बच्चों के विकास के लिये सुरक्षित व प्रभावी बनाने के लिये हम सब अपने गांव को बाल मित्र बनाने के लिये शपथ लेते हैं

- विद्यालय में बालमित्र वातावरण बने इसके लिये अध्यापको के साथ मिलकर वृक्षारोपण, पोषण वाटिका लगाना, मध्याह्न भोजन में यथा शक्ति सहयोग करना।

माजिद खान
(थीम लीडर)
सच्चा बचपन
वाग्धारा

नौ माह से लापता बालक को पाकर परिवार गदगद

बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन का रहा सहयोग

2 boys sold by dad to shepherd, rescued

Times News Network

Udaipur: Life became miserable for two kids in Pratapgarh village, after their mother left them for another man and their father pledged them to a shepherd in lieu of money. Thanks to the alertness of their school principal who noticed their absence from school and followed up the case, till the kids were brought back home. The children are aged eight and ten years.

The incident has been reported from Kataro ka Kheda village of Semalia Panchayat in Pipalkhoont of Pratapgarh district. The boys read in a government school in the village and had been absent for over a month.

The school principal Shiv Bhagwan visited their home to inquire about their well-being. The boys' father lied that the kids had gone over to their relatives' home for some days, but the teacher suspected something fishy and reported the case to the childline.

The childline team deployed sources to find out the truth and later, it was known that the children's mother had went to live with some other man under the tribal 'Nata' custom five months ago, and unable to look after them, their father pledged them to a shepherd, who took them to work in Shajapur of Madhya Pradesh.

With the help of the police, the shepherd was traced and warned to send back the kids home. After a month-long exercise, the kids returned on Tuesday and reported to school the next day. Sources claimed that the father had taken Rs 20,000 from the shepherd and in return, promised the children to the shepherd for rearing cattle. The kids were made to walk multiple kilometres a day barefoot and worked very hard. They were given little to eat and even beaten up on several occasions.

बाल विवाह पर कार्रवाई का डर

रात दो बजे निकाली नाबालिग की बारात, फिर भी नहीं करवा पाए फेरे

लॉकडाउन में चाइल्ड लाइन की सेवाएं जारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई मानगढ़ की गतिविधियाँ

परिचय

जे.एस.एस.एस.आई मानगढ 243 गांवों के समन्वय से बना है जिसमें बाँसवाड़ा (राजस्थान) के 183 गाँव शाामिल हैं जो की आनंदपुरी और गांगड़तलाई ब्लाक के है और दाहोद (गुजरात) के 60 गाँव शामिल है जो फतेहपुरा एवं झालोद ब्लाक के है। वाग्धारा संस्था विगत दो वर्षों से इन 243 गांवों में विभिन्न माध्यमों से कार्य कर रही है और इनका संचालन करने हेतु ही जे.एस.एस.एस.आई मानगढ की सरंचना की गई जो की एक प्रकार से सहायक इकाई के रूप में कार्य करती है और वाग्धारा द्वारा इन गांवों में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है, इन कार्यों एवं गतिविधियों को सही तरीके से स्थापित करने के लिए हर गाँव में दो समूह बनाये गए है, एक ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति जिसमे 25 सदस्य है (पुरुष एवं महिलाएं) जो गाँव के विकास कार्य हेतु बैठक एवं चर्चा करते है और दूसरा सक्षम समूह जो की 20 महिलाओं का होता है जो खेती को लेकर चर्चाएं करती है और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इन सभी का सुचारू रूप संचालन करने हेतु संस्था ने 30-40 गाँव के बीच में जन जातीय स्वराज संगठन (जे.एस.एस) का गठन किया है जिसमे ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के लोग प्रतिनिधित्व करते है और जे.एस.एस.एस.आई मानगढ के साथ सहयोग कर के सभी गतिविधियों और कार्यों को अंजाम देते है।

बीते समय में की गई कुछ मुख्य गतिविधियाँ

1. पौधे एवं सब्जी के बीज किट उपलब्ध करवाए

संस्था हमेशा से ही किसानो के बाजार पर निर्भरता कम और उनके पोषण में सुधार हेतु कार्य करती है और इसलिए ही खेती पर अलग से सक्षम समूह के साथ चर्चा एवं बैठक करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा रबी के मौसम में 2500 परिवारों को सब्जी के बीज किट उपलब्ध करवाए जिससे की उन परिवारों के पोषण में सुधार आ पाए और साथ 6 प्रकार के फलदार पौधे भी उपलब्ध करवाए जिससे की उनके पोषण एवं आजीविका दोनों में परिवर्तन हो पाए

2. वर्मिबेड उपलब्ध करवाए

सच्ची खेती को बढावा देने के लिए संस्था ने गांगड़तलाई एवं फतेहपुरा के सक्षम समूह के 800 परिवारों को वर्मिबेड उपलब्ध करवाए जिससे वो जैविक खाद बना पाए और प्राकृतिक संसाधन का उपयुक्त लाभ ले पाए।

3. सच्ची खेती एवं ग्राम चोपाल की बैठकों के आयोजन किए

सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से 243 गांवों में सच्ची खेती एवं ग्राम चोपाल पे सहभागी सीख बैठक आयोजित की गई जो प्रति माह हर एक गाँव में एक बार होती है। इस सहभागी सीख के माध्यम से हम सच्ची खेती के तंत्र और तत्कालीन परिस्थिति के समय अनुकूल खेती के लिए क्या बदलाव होना चाहिए उस पर सक्षम समूह के साथ सहभागी बैठक होती है

4. जैविक समूह के किसानो का पुनर्निरीक्षण

आनंदपुरी एवं गांगड़तलाई में कुल 123 जैविक समूह बने हुए है जिसमे से 17 समूह का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु पहला पुनर्निरीक्षण हो चुका है। ये जैविक समूह सरकार द्वारा PGS (सहभागी प्रतिभूति प्रणाली) मान्यता के अन्तर्गत जैविक किसान होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करते है जिससे की उनके जैविक उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो

5. विद्यालय में गार्डनिंग करवाई

बच्चो के भोजन में पोषण का ध्यान आकर्षित करने के लिए आनंदपुरी एवं गंगाड़तलाई के 8 उच्च माध्यमिक स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया जिसका मुख्या उद्देश्य बच्चों को पोषण के बारे में अवगत करना था और स्कूलों में मिड डे मिल् में पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना था

6. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का पुर्नगठन

बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसलिए हर पंचायत में बाल संरक्षण समिति का गठन हुआ है जिसमे सरपंच, सचिव, वार्डपंच और अन्य सरकारी व्यक्ति और कुछ पंचायत के गणमान्य व्यक्ति शामिल रहते हैं। इस समिति का कार्य बच्चों के समस्याओं को जानकर उसका हल करना है और उनके अधिकारों को बचाना है

7. राहत हेतु खाद्य सामग्री पहुंचाई

कोविड-19 महामारी से लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ा है और खास कर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत उठानी पढ रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए संस्था ने ऐसे वंचित परिवारों की मदद हेतु खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई और बाँसवाड़ा और फतेहपुरा (गुजरात) के 4500 परिवारों को इसका लाभ दिया और इन वंचित परिवारों के बारे में सरपंच वार्डपंच को भी बताया गया और सारी खाद्य सामग्री इनके द्वारा ही लोगों को पहुंचाई गयी।

रोहित स्मिथ
JSSSI लीडर, आनन्दपुरी

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई माही की गतिविधियाँ

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई बांसवाडा जिले के घाटोल,पीपलखूंट व आसपुर खंड में 94 ग्राम पंचायत के 319 गाँवो में कार्यरत है जिसमे संगठन द्वारा 319 ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति एवं 325 सक्षम समूह के साथ है |इस पश्चात इन समूहों में भी 35-40 ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति मिलकर एक जनजातीय स्वराज संगठन का निर्माण करेंगे जो की वर्तमान में जन जातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई घाटोल में 09 अलग अलग श्रेत्र अनुसार बना हुआ हे । जिसका मुख्य कार्य संगठनो के माध्यम से सीधा समुदाय के साथ जुड़ना एवं अपने माध्यम से हर गाँव में सच्चा स्वराज,सच्ची खेती एवं सच्चे बचपन के लिए कार्य करना हे जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है की एक बार पुनः समुदाय को कैसे स्वराज की तरफ ले जाया जा सके ।

जिसमे सच्चे स्वराज में जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई – घाटोल में 319 ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के माध्यम से स्थानीय समस्याओ को जन जातीय स्वराज संगठन के मध्याम से ग्राम पंचायत ,खंड एवं जिला स्तर पर रखना एवं इसका निर्धारण करना तय किया गया जिसमे घाटोल में शुद्ध पेयजल , कृषि हेतु बिजली कनेक्शन से जोड़ना हो या ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जरुरत मंद परिवारों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत जोड़ना, पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ने के कार्य किए जा रहे हे ।

सच्ची खेती के तहत समुदाय को जैविक खेती किस और ले जाने के लिए या पर्यावरण अनुकूलित ग्राम विकास योजना निर्माण की तरफ ले जाने के लिए हर ग्राम पर 20 महिलाओं का एक समूह गठित किया गया है जिनकी हर माह में एक मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा हे जिस माध्यम से परिवारों को सच्ची खेती के घटकों को ध्यान में रख कर इनके साथ इस विषय पर वार्तालाप किया जाता हे वर्तमान में 6380 किसानो को इस माध्यम से जोड़ा गया हैं जो मुख्यतः बकरी पालन ,मुर्गी पालन , सब्जी उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हे एवं खेतो में भी DAP, यूरिया को छोड़ वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से खेतो को पुनः जैविक खाद व इसी के साथ कीटनाशी दवाई भी अपने स्तर पर बनाना सीख ही नहीं रहे बल्कि उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। सच्चे बचपन को लेकर ग्राम स्तर पर समुदाय ने ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति बना रखी हे जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम में समस्त वर्ग के बच्चो को अपने जीवन जीने का अधिकार पर कार्यरत हे जिसमे समिति द्वारा गाँव के अधिकार वंचित बच्चो की सूची तैयार की जाती हे जिसको अपने अधिकार मिले उस पर कार्य करती है वर्तमान में जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई – घाटोल में ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के माध्यम से 41 गाँवो को बाल श्रम मुक्त बनाया गया हे और बाकी गाँवो को भी इसी क्रम में जोड़ा जा रहा है ,

साथ ही जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई – घाटोल में समेकित खेती तंत्र के माध्यम से 319 गाँवो में 106 समुदाय मित्रो का चयन कर समेकित खेती तंत्रके घटको को सक्षम समुह एवं ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के माध्यम से इसका सन्देश सीधा समुदाय तक पहुंच रहा हे जिससे वर्तमान में समुदाय को इस माध्यम से सच्ची खेती , सच्चा बचपन एवं सच्चा स्वराज का और बारीकी से ज्ञान हो रहा हे ।

हेमन्त आचार्य
JSSSI लीडर, घाटोल

सच्ची भागीदारी से स्वराज संभव है

"समुदाय द्वारा, समुदाय के लिये, समुदाय का शासन"

लोगों द्वारा और लोगों के लिये, स्वराज को लोगों की सरकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वराज को स्थानीय सरकार का बेहतरीन रूप माना जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ;महिला व पुरुष जागरूक होकर भाग लेता है और जिसमें लोग अपनी नियति निर्धारित करने वाली संप्रभुत्व शक्ति बनते हैं।

स्वराज के मौलिक उद्देश्य वं विशेषता :

▶ जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी ▶ उत्तरदायी सरकार ▶ जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना ▶ सीमित तथा संवैधानिक सरकार, ▶ भारत को ,क लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा ▶ निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव ▶ वयस्क मताधिकार ▶ सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा ▶ जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार ▶ निष्पक्ष न्यायालय ▶ कानून का शासन ▶ विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति ▶ सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में।

समुदाय | **लोकतंत्र/शासन** | **राजनैतिक दलों एवं नेता की भागीदारी**

आदिवासी समुदाय में सच्चा स्वराज को स्थापित करने के लिए हम सभी स्वराज संगठन व आदिवासी समुदाय शपथ लेते है कीः –

• गाँव में प्रत्येक सदस्य एक परिवार के रूप में संगठित होकर रहेगा, जिससे समुचा समुदाय एक सम्प्रभुत्व शक्ति बना रहेगा और सभी को समान अवसर प्राप्त हो I

• गाँव एवं समुदाय के सर्वांगींण विकास पर चर्चा एवं चिंतन के लिए हर वर्ग मुख्यतः युवा, महिला एवं पुरुष की समान भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ग्राम चोपाल को पुनर्जीवित करना हैं I

• गाँव में कृषि, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुधन एवं आजीविका में सुधार हेतु निर्मित होने वाली कार्य योजना कभी भी बिना समुदाय की भागीदारी के तैयार नहीं हो उसके लिए कार्य करना हैं I

• गाँव में समय समय पर युवाओ (महिला एवं पुरुष) की सामाजिक, आर्थिक, एवं पारिस्थितिक विकास सम्बंधित कार्यक्रमो में भागीदारी होनी आवश्यक हैं तथा युवाओ (महिला एवं पुरुष) को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक उभरते हुए नेता के रूप में राजनीति का हिस्सा होना चाहिए I

• गाँव के विकास में परम्परागत एवं देशज अभ्यासों एवं ज्ञान को जैसे हलमा, नोतरा, हिरमा खेती, ग्राम चोपाल, इत्यादी को सम्मिलित करना एवं प्राथमिकता प्रदान करना I

• ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति को सक्रीय रूप से पंचायत स्तर पर सरकारी तंत्र के साथ मिलकर गाँव में हर परिवार को प्रत्येक सरकारी योजनाओ/कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाना ही नहीं अपितु समुदाय को उनसे लाभान्वित करवाने हेतु निरंतर कार्य करते रहना हैं I

• गाँव में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं न्यायायिक मुद्दों/गतिविधियों में महिलाओ के निर्णयों को भी शामिल करना चाहिए I

• गाँव की सभी समितियाँ/संगठन एक ऐसी राजनैतिक शक्ति बने जो सरकार को सरकार द्वारा गरीबी उन्नमूलन एवं समुदाय विकास हेतु संचालित सेवाओ/कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने एवं उसमे बदलाव हेतु अनुशंसा प्रदान करे

• स्थानीय लोगों (प्रमुखतः युवाओ) की भूमिका को एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरते हुए तथास्वराजएवं शासन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना और उस पर पूर्ण समझ विकसित करना I

• प्रमुख राजनीतिक नेताओ के रूप में स्वदेशी आंदोलनों के उद्भव के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना, जिसमें उनके इतिहास, वर्तमान स्थिति और राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों की अधिक समझ सम्मिलित करना है।

• स्थानीय लोगों और स्वराज पर जानकारी एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और प्रसारित करें जो अन्यथा असंबंधित और खोजने में मुश्किल रहेंगी।

परमेश पाटीदार (थीम लीडर)
सच्चा स्वराज वाग्धारा

COVID-19 Coronavirus

VAAGDHARA

कोविड 19 लॉकडाऊन एवं वंचित वर्गों के अधिकार शासकीय योजनाओं की निगरानी

क्र.सं.	योजना का नाम	लक्षित समूह	पात्रता की शर्ते	देय लाभ	कहां आवेदन करें	आवश्यक दस्तावेज
	केन्द्र सरकार की योजनाएं					
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	मनरेगा जॉब कार्ड धारक को काम की मांग करने पर (फॉर्म न.6 भरने पर /मौखिक बताने /टेक्स्ट मेसेज)	1. जॉब कार्ड होना चाहिए। 2. बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।	कम से कम 100 दिन का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में (मजदूरी दर 213 रुपया/'जितना काम उतना दाम')	मनरेगा में कार्य करने के इच्छुक वयस्क व्यक्ति जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है वे तुरंत स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करे 15 दिन के अंतर्गत आपको जॉब कार्ड जारी हो जायेगा तथा जिसके पास पहले से ही जॉब कार्ड है वे उनके जॉब कार्ड्स को अपडेट अवश्य करावे।	1.परिवार राशन कार्ड 2. भामाशाह कार्ड 3. आधार कार्ड 4. बैंक पास बुक की डायरी 5. संयुक्त परिवार का फोटो उपर्युक्त डोक्यूमेंट की फोटो कोपी के साथ अपने ग्राम पंचायत जाकर फार्म नम्बर 6 भरना है।
2	उज्जवला योजना :	बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक परिवारों को	उज्जवला योजना के लिए बी.पी.एल. राशन कार्ड (BPL) होना जरुरी है।	3 माह के लिए मुफ्त में गैस सिलेण्डर बुक करना।	कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 3 माह के लिए मुफ्त में गैस बुक करने के लिए प्रस्तावित किया है, इसके लिए आप अपने सम्बंधित गैस उपभोक्ता ऑफिस से पहला गैस बुक कराये, उसके बाद दूसरा और तीसरा गैस	1.परिवार बी.पी.एल. राशन 2. भामाशाह कार्ड 3. आधार कार्ड 4. बैंक पास बुक की डायरी नोट : नए कनेक्शन के लिए उपर्युक्त डोक्यूमेंट की फोटो कोपी।
3	पी. एम. किसान सम्मान निधि योजना	पीएम किसान के लाभार्थी (जिनके पास भू राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का मालिकाना हक का रिकॉर्ड दर्ज हो) तथा जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा वयस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर वयस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र होगा	किसान को 2000 रुपये एडवांस/अग्रिम राशी	पटवार ऑफिस में	1. भू राजस्व रिकॉर्ड 2. आधार कार्ड 3. भामाशाह कार्ड 4. बैंक पास बुक की डायरी 5. फोटो
	राजस्थान सरकार की योजनाएं					
	(अ) खाद्य सामग्री सम्बन्धी योजनायें					
	प्रधान मंत्री गरीब किसान अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क दाल वितरण	गरीब परिवारों को	कोरोना (कोविद–19) के चलते सभी गरीब किसानो /परिवारों को माह अप्रैल ,मई ,जून महीने के लिए	1 किलोग्राम दाल निः शुल्क प्रति लाभार्थी।	उचित मूल्य की दुकान से दाल वितरण की सुचना लाभार्थियों को समय पर पहुचाई जाये ,ताकि ज्यादा से जायदा लोग इसका फायदा उठा सके।	1.परिवार राशन कार्ड
	अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जन जातीय परिवारों को निः शुल्क गेंहू वितरण करना	राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन में पहले जिनको गेहू मिल रहे थे कोरोना (COVID-19) के चलते एक वर्ष के लिए (01–04–2020 से 31–03–2021) पहले से दुगुना दिया जा रहा है	एक वर्ष के लिए (01–04–2020 से 31–03–2021)	राशन में पहले से दुगुना (जैसे पहले 15 किलो गेहू मिलने वाले परिवार को अब 30 किलो गेहू मिलेंगे।)	उचित मूल्य की दुकान से	1.परिवार राशन कार्ड
	अन्त्योदय अन्न योजना (एन एफ एस ए) योजना के अंतर्गत निःशुल्क गेंहू/खाद्यान्न का वितरण	NFSA चयनित लाभार्थी	अप्रैल एवं मई माह में (01–04–2020 से 31–05–2020)	35 किलोग्राम गेंहू /खाद्यान्न प्रति परिवार/5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह जो की 1 रुपया या 2 रुपया प्रति किलो मिलता था जो की अब 2 माह (अप्रैल –मई) का गेंहू निः शुल्क दिया जायेगा	उचित मूल्य की दुकान से	1.परिवार राशन कार्ड
	(ब) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना					
	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	78 लाख समाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को	समाजिक सुरक्षा पेंशनधारी	2 माह की पेंशन एक साथ (अप्रैल एवं मई माह)	सीधे बैंक खाते में ट्रान्सफर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में	1. राशन कार्ड 2. पहचान प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. बैंक पासबुक
	(स) अनुग्रह राशि योजना					
	अनुग्रह राशि योजना	36.51 लाख बी पी एल और स्टेट बी पी एल तथा अन्तोदय लाभार्थी ,25 लाख निर्माण श्रमिको एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स जो की सामाजिक पेंशन में सम्मलित नहीं है।	बी पी एल और स्टेट बी पी एल तथा अन्तोदय लाभार्थी	1000 रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर एक बार	सीधे बैंक खाते में ट्रान्सफर	1.बी पी एल राशन कार्ड 2.स्टेट बी पी एल 3.अन्त्योदय
	(द) स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना					
	स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाये	ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद	50,000 रुपए तक राशि संक्शन कर सकती है।	ग्राम पंचायत में (50,000), पंचायत समिति और जिला परिषद में एक–एक लाख रुपए तक राशि संक्शन कर सकती है	अपने – अपने ग्राम पंचायत , पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यलय में	1. राशन कार्ड 2. पहचान प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. बैंक पासबुक
	(य) लॉकडाउन के दौरान श्रमिको के लिए विशेष योजनाएं					
	लॉकडाउन के दौरान श्रमिको का बिना कटौती ऑनलाइन भुगतान की अपील	राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करके यह अपील की गई की औद्योगिक /कारखानों /संस्थाओ में कार्यरत श्रमिको का वेतन लॉक डाउन के दौरान का भुगतान बिना कटौती ऑनलाइन भुगतान किया जाये।	औद्योगिक /कारखानों /संस्थाओ में कार्यरत श्रमिको	बिना कटौती किये वेतन भुगतान लॉक डाउन के दौरान	अपने – अपने क्षेत्र (कार्यालय) में	औद्योगिक /कारखानों /संस्थाओ में कार्यरत श्रमिक

कोरोना से बचने के लिये यह सावधानियां बरते...

संजय जोशी
वाग्धारा

जनजातीय स्वराज सगठन सहयोग इकाई हिरण की गतिविधियाँ

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई राजस्थान और मध्यप्रदेश के कुशलगढ़, सज्जनगढ़, थांदला एवं बाजना ब्लोको के 356 गांवों में 9 समुदाय आधारित जनजातीय स्वराज संगठनों के साथ कार्यरत है । प्रत्येक संगठन 35-40 गाँवो में ग्राम अधिकार एवं बाल अधिकार समिति एवं महिलाओं के सक्षम समूह के साथ सच्चा बचपन , सच्ची खेती और सच्चे स्वराज के मुद्दों पर कार्य कर रहे है । इन संगठनो की विचारधारा यह है की विकास की प्रक्रिया में बाहरी निर्भरता कम से कम हो । जिसके फलस्वरूप समुदाय अपनी समस्याओ का जिम्मा खुद उठाने में सक्षम एवं सामर्थ्य रहे । इसी प्रक्रिया को गति देने की लिए जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई की परिकल्पना की गई । इसके अंतर्गत सच्ची खेती, सच्चा स्वराज एवं सच्चा बचपन की थीमो में गतिविधियाँ कराई जाती है।

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई कुशलगढ़ की कुछ मुख्य गतिविधियाँ

सच्ची खेती के लिए सहभागी सीख चक्र

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई के प्रत्येक गाँव में सक्षम समूह के साथ सच्ची खेती पर सहभागी सीख चक्र की बैठके होती है। सच्ची खेती में जल , जंगल , जमीन, जानवर और बीज के ऊपर चर्चा की जाती है। दिन प्रतिदिन यह देखा जा रहा है की किसान खेती में लगने वाले सामानों के लिए बाजार का गुलाम बनता जा रहा है। चाहे वो बीज हो या खाद, बाजार ने किसानो को जकड़ रखा है। इसके कारण किसान सिर्फ कर्जदार ही नहीं बना बल्कि एक ऐसा गुलाम बन गया जो कभी बाजार की जंजीरों से आजाद नहीं हो सकता क्यूंकि निर्भरता ने उसे निर्बल बना दिया है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सच्ची खेती पर सहभागी सीख चक्र की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमे समुदाय में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर खेती में खर्च कम किया जाये। इसी के साथ खेती पर्यावरण मैत्रिक हो जिसमे केमिकल खाद एवं दवाई से होने वाले नुकसानो के बारे में भी बताया जाता है। इन बैठकों को 356 गांवों में सक्षम समूह की महिलाओं के साथ खेती से जुड़े अलग-अलग विषय जैसे मृदा स्वास्थ्य, देशी खाद बनाना , देशी दवाई बनाना,उनका इस्तेमाल जैसी कई विधियों के लिये चर्चा की जाती है।

ग्राम स्तारिय चोपाल का आयोजन
सामूहिक चर्चा और समाधानों की खोज

का तरीका हमारे पुरखो ने दिया है परन्तु आधुनिक युग में हम उसे भूलते जा रहे है। हमारे बुजुर्ग एक साथ बैठ कर समस्याओं पर चर्चा करते थे और मौजूद संसाधनों के साथ उपाय भी करते थे । इसी सोच को रखते हुए हम गाँवो में ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति और सक्षम समूह के साथ ग्राम चोपाल के आयोजन करवा रहे है । समिति के सदस्य सामूहिक चर्चा कर समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति तैयार कर काम करते है। इसमें पंचायत, सरकार, सरकारी तंत्र एवं अधिकारियो के साथ अपनी समस्याओं के लिए जोर देना, एक सामूहिक आवाज को रखने पर भी प्रेरित किया जाता है जिससे लोगो को अपने अधिकार प्राप्त हो । इसलिए ग्राम चोपाल के बैठकों में महिला, पुरुष, बच्चे और बड़े सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है और सभी से सम्बंधित समस्याओं को चर्चा में लिया जाता है।

पोषण वाटिकाये

पोषण एक परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। घर के खाने में इसका होना सिर्फ आज की पीढ़ी के लिये ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने खेती और पोषण को एक ही सिक्के के दो पहलु माना गया। आदिवासी परिवारों की खेती का हिस्सा पोषण वाटिका भी हो इसके लिए वाग्धारा ने बीजो के माध्यम से परिवारों को प्रेरित किया । इसी के साथ समय-समय पर पोषण वाटिका से मिली सब्जियों का प्रयोगों घर के खाने में किया जावे उसके लिए बाते करी गयी और इन उपलब्ध सब्जियों को गर्मी के दिनों में इस्तेमाल हेतु सुखा कर रखने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया और महिलाओं को इस प्रक्रिया को अपनाने से परिवार का साल भर पोषण आपूर्ति के लिए प्रेरित किया।

पोषण शिविर

पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण शिविर का भी आयोजन कराया गया जिसमे बच्चो की माताओं को घर में खेती द्वारा प्राप्त की गई खाद्य सामग्री मंगाई गई द्य इस सामग्री का इस्तेमाल कर माताओं ने 15 दिनों तक अलग-अलग चीजे बनाई और कैसे उससे इस्तेमाल में लेकर बच्चो को संपूर्ण पोषण मिले उसपर बात करी गयी और इसी के माध्यम से भोजन में विविधता के ऊपर भी बात करी गयी साथ ही बच्चो के शारीरिक विकास में भोजन की विविधता कितनी महत्वपूर्ण है उस पर महिलाओं को जागरूक भी किया गया।

जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण

कोविड-19 के दिनों में गाँव में कई मजदूर शहरों से वापस घर आ गए है। गावो में इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई राहत न थी। इसमें गाँव में मौजूद जरूरतमंद परिवारों को संस्था द्वारा संगठनो की मदद से खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। इकाई के साथ 9 जनजातीय स्वराज संगठनो द्वारा 6650 खाद्य सामग्री के पैकेट का वितरण किया गया ।

कृष्णासिंह
JSSSI लीडर, कुशलगढ़

जनजातीय स्वराज संगठन कोबा - मानसिंह निनामा

जनजातीय स्वराज संगठन कोबा 9 ग्राम पंचायतो के 39 गांवों मे कार्यरत है एवं इन सभी गांवों मे वाग्धारा की ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। जिसमें जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्य पंकज खांट, विरेन्द्र निनामा, कृष्णा बाई, जगत प्रसाद का सहयोग रहां। साथ ही जनजातीय स्वराज संगठन के पदाधिकारी हिरालाल ताबियार, नरेश चन्द्र निनामा, कालुराम डामोर, बबली देवी पारगी, व मानसिंह बरजोड एवं पंचायत के जन प्रतिनिधी सरपंच, सचिव व वार्डपंच का विशेष सहयोग रहा एवं उनकी उपस्थिति मे सभी कार्य किये गयें।

खाद्य सामग्री वितरण के अलावा जनजातीय स्वराज संगठन के पदाधिकारी एवं वाग्धारा टीम ने सरकार के नियम नीतियो के आधार पर कोरोना सक्रमण को लेकर समुदाय का मार्गदर्शन भी किया, जैसे - बार-बार साबुन से हाथ धोना,ग्रुप में हाथ न मिलाना तथा दुर से ही नमस्ते करना, मास्क मुंह पर बाँधना भीड-भाड वाली जगह पर नही जाना, व एक मीटर की दुरी बनायें रखना, ड़ॉक्टर की सलाह लेना, पलायन मजदुरों को घर से 14 दिन तक बाहर नही निकलने देना आदि पर चर्चा की गई।

मानसिंह निनामा
JSS सहयोगकर्ता

जनजातीय स्वराज संगठन घाटोल - नरेश चन्द्र बुनकर

कोरोना वैश्विक बिमारी कोरोना वायरस के कारण सम्पूर्ण भारत मे लॉकडाउन के दौरान जनजातीय स्वराज संगठन घाटोल पंचायत के साथ मिलकर वि.डी.सी.आर.सी. व सक्षम समूह के सद्स्यों ने अपना अहम सहयोग प्रदान किया। जैसे लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाद्यान्न सामग्री वितरण कर कोरोना वायरस बिमारी के बारे मे जानकारी दी व इसके बारे मे समुदाय के लोगों को जागरूक किया, साथ ही लोगों को फोन के माध्यम से जानकारी दी की हमे कोरोना वायरस बिमारी के प्रति सावधानी बरतनी अनिवार्य हैं। तथा अपने मुंह पर मास्क, रूमाल व दुपटटा बाध कर रखना चाहियें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोने चाहिये, भीडभाड वाली जगह पर जाने से बचना चाहिये, और ज्यादा भीड को इकठठा नहीं करना चाहिये व साथ ही राशन सामग्री लेते समय विशेष दूरी बनाये रंखे। इस प्रकार जनजातीय स्वराज संगठन घाटोल के पदाधिकारी प्रेमशंकर मईडा ने अपनी ग्रांम पंचायत मे भामाशाह को तैयार किया और उनके द्वारा गरीब परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाई। ग्राम पंचायत गोलियावाडा के वार्ड मेम्बर 9 मे ऐसे चार परिवार जिनके पास कोई दस्तावेज न होने पर भी उन्हे सरकारी योजना से लाभान्वित करवाया।

नरेशचन्द्र बुनकर
JSS सहयोगकर्ता

जनजातीय स्वराज संगठन भीलकुआँ

कारोना महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन होने से लोग डर गये थे। तथा क्या होने वाला है, लोग सोच में पड़ गये। तथा अपने घरों मे ही बन्द थे । आदिवासी परिवार अपने घरों में अनाज तो स्टॉक में रखते है, लेकिन अन्य खाद्य सामग्री नहीं रखते है। ऐसी संकट की घड़ी में वाग्धारा संस्था कि ओर से 1000 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। इतना बड़ा कार्य सरकार भी नही कर पाई इसलिये संस्था के प्रति लोगों में विश्वास व आस्था बनी है कि समय-समय पर हमारा सहारा बनी है।

खाद्य सामग्री वितरण करने में पदाधिकारियोंका भी खुब सहयोग रहा है तथा सभी ने मिलकर सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अवगत कराया एवं उनके मार्गदर्शन में सभी सामग्री गरीब,विधवा,विकलांग, पालनहार, अनाथ बच्चों को दिया गया। इस प्रक्रिया में श्रै सदस्य मानसिंग कटारा, कौंतिलाल पटेल, हेमन्त, सीता, धुलजी, लीला आदि का सहयोग रहा।

मैनेजर राकेश ड़ामोर
JSS सहयोगकर्ता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/ MNREGA)

मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितम्बर2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।

इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है।

सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है।शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।

मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्यः

- मनरेगा के जे जरिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार सुनिश्चित करना।
- आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया करवाना
- आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- गाँव के जल, जंगल, एवं पर्यावरण की रक्षा करना
- महिलाओ का सशक्तिकरण
- गांवो से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने के लिए
- योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

आवेदन कैसे करेः

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक फोटो के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

विशेष बातः

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम ना हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए।

मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य/**गतिविधियाँ**ः

मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसेः जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क-तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि। नए टैंक/तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं।

स्मार्ट या एंड्राइड फ़ोन पर नरेगा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाने मनरेगा के बारे मेंः-

अब नरेगा के बारे में जानना हुआ ओर भी आसन आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी नरेगा समबन्धित जानकारी देख सकते हैं जैसे जॉब कार्ड सम्बंधित स्थिति, नरेगा की दिहाड़ी, आपकी ग्राम पंचायत में नरेगा में हो रहे कामो की प्रगति, सरकार द्वारा जारी आदेश एवं अन्य I

नरेगा के सम्बन्ध शिकायत/ जानकारी हेतु कॉल करेनिःशुल्क

1800-180-6127

सोहननाथ जोगी, JSS मॉडल, आनन्दपुरी

हल्दी बनी संकट काल में आजीविका का साधन

कोरोना महामारी के बीच आदिवासी समुदाय जी रहा सामान्य और खुशहाल जीवन (बाजार पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बने समुदाय)

कोरोना वैश्विक महामारी में जहाँ एक ओर सब कुछ थम सा गया है वहीं दक्षिणी राजस्थान में बाँसवाड़ा क्षेत्र के कृषक और आदिवासी समुदाय के लोग परंपरागत खेती और पोषण वाटिका की बदौलत बिना किसी बाहरी आवश्यकता के सामान्य दिवसों की ही भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं व कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के कारण महामारी की दशा में जहां एक ओर कई समुदाय जीवनयापन के लिए संघर्षरत हैं, वहीं राजस्थान-गुजरात-मध्यप्रदेश के आदिवासी समुदाय अपनी कुशलता से आत्मनिर्भर रह कर अपनी आजीविका सतत और सुचारु रूप से चला रहे हैं। आदिवासी समुदाय अपने ज्ञान को स्वदेशी प्रथाओं और कुशल तथा आत्मनिर्भर कार्य शैली तंत्र के साथ एकीकृत कर, स्वयं की एवं समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं ।

टिकाऊ समेकित कृषि पद्धति को अपनाकर किसान आजीविका हेतु टिकाऊ खेती एवं पोषण खाद्य सुरक्षा के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, पोषण वाटिका इत्यादि घटकों का निर्माण कर रहे है। आजीविका चलाने के लिए सिर्फ खेती ही पर्याप्त नहीं होती, उसे अन्य पोषक जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां, मसाले मुख्यतः हल्दी, दूध इत्यादि की भी आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति टिकाऊ समेकित कृषि पद्धति से संभव हो पायी है। हाल के वर्षो में किसानों को अपनी भोजन आवश्यकताओं में अनाज तो स्वाभाविक रूप से खेतों से अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त हो जाता था परंतु मसाले (हल्दी, मिर्च और नमक) एवं तेल की आपूर्ति हेतु बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था।

मसालों के रूप में हल्दी सबसे ज्यादा उपयोगी और आवश्यक होती हैं। पूर्व में राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी क्षैत्र के जनजातीय किसानों द्वारा बाजार से ही मसालें लायेजाते थे जो की गुणवत्ता में भी हल्के होते थे कुछ प्रगतिशील सक्षम किसान हल्दी उगाते थे परन्तु हल्दी से पाऊडर बनाने का ज्ञान न होने के कारण गीली हल्दी ही बाजार में बेच देते थे। परंतु आज टिकाऊ समेकित कृषि पद्धति से जनजातीय क्षेत्र में सैंकड़ो किसानों के द्वारा स्वयं की पोषण वाटिका में हल्दी की खेती की जा रही है।

जहाँ एक ओर समूचे देश में कोरोना वायरस के कारण सब कुछ थम सा गया था, वहीं दूसरी ओर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी ब्लॉक के सुन्द्राव गाँव के निवासी श्री रामजी पुत्र श्री हकला निनामा और उनका परिवार वैश्विक महामारी के संकट के समय कच्ची हल्दी से वर्ष भर के लिए उपयोग आने वाले हल्दी पाउडर बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि भोजन की तैयारी और कई अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सके। इस कार्य के लिए गाँव के 20 महिला सदस्यों के सक्षम समूह ने इन्हें प्रेरित किया और इन्होने सक्षम समूह से हल्दी उगाने के बारे में सीखा जिसका अपने स्वयं की पोषण वाटिका में अभ्यास कर रहे हैं। निनामा का परिवार उन 1000 परिवारों में से एक था जिन्हें बांसवाड़ा स्थित वाग्धारा संस्था द्वारा अपने खेत में हल्दी उगाने हेतु किट तथा संबन्धित उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवायी गई थी। जिसमे कुशलगढ़ व सज्जनढ़ मे हल्दी उगानी शुरू की थी। अपनी जरूरत के अनुसार रख कर बाकी हल्दी उन्होने दूसरों को आवश्यकतानुसार न सिर्फ बेचना शुरू किया बल्कि कुछ हल्दी को पाउडर मसाले के तौर पर तैयार किया और स्वयं की आवश्यकतानुसार अपने पास रख कर, दूसरों को बेचना शुरू किया। पोषण वाटिकाओं में उगायी जा रही हल्दी में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक कीटनाशक और हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हल्दी की

खेती कीटों को आकर्षित भी नहीं करती है और इसका आसानी से लम्बे समय के लिए भण्डारण भी किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हल्दी की खेती समुदाय के लिए मददगार साबित हो रही है संकट के इस समय आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचुर मात्रा में हल्दी उगाई जा रही है, जिसके फलस्वरूप हजारों परिवार लाभान्वित हो रहें हैं और इस तरह परिवार के उपयोग के लिये हल्दी की पूर्ति हो जाती है एवं शुद्ध हल्दी भी मिलती है। इससे परिवार की बाजार पर निर्भरता खत्म होगी और परिवार के खर्च में कटौती होगी। हल्दी तो यहाँ संकेत मात्र है, इसे हमें अन्य मसालों व दालों के साथ-साथ संस्कृति के तौर पर भी देखना होगा। इसी प्रकार पोषण वाटिकाओं में उगाये गए फल, सब्जियाँ तथा अन्य मसाले जैसे मिर्च न सिर्फ किसानों के स्वयं के लिए उपयोग में लिए जा रहें हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर आस-पास के लोगों को भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन आदिवासी किसानों के इस अनुठे कदम से यह ज्ञात होता है कि जहाँ शहरी क्षेत्र के निवासी खाद्य पदार्थो के लिए बाजार पर आश्रित हैं वहीं आदिवासी समुदाय बिना बाजार के उत्पादों पर आश्रित रहकर अपने ज्ञान के साथ स्वदेशी प्रथाओं से कुशल तथा आत्मनिर्भर कार्यशैली तंत्र को एकीकृत कर, संकट के समय में भी सुचारु रूप से अपनी, अपने परिवार एवं समुदाय की आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम हैं।

इसी प्रकार सब्जियों, सुखाई हुई सब्जियों व फल के लिए बाजार पर निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से वाग्धारा संस्था द्वारा आदिवासी समुदाय के लगभग 10,000 परिवारों को समुदाय आधारित खाद्य प्रबंधन तंत्र के तहत एवं सतत कार्यक्रम के हिस्से के तहत पोषण वाटिका के संबंध में जागरूकता लाकर, बीज वितरण कर सम्पूर्ण जानकारी साझा कर घर के पास में, बर्तन और हाथ धोने वाले पानी के बहने के स्थान पर पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रेरित किया गया था।

वन क्षेत्रों में बहुतायत में ऐसी पौष्टिक तथा मानव जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध है। संकट के समय में ये प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और समुदाय इसके लिए जागरूक भी हैं। चील, रजन, ढीमड़ी आदि जैसे खाद्यान्न पर अनुसंधान, परीक्षण तथा इनकी पौष्टिकता का स्तर ज्ञात कर समुदाय को जागरूक करने का कार्य किया गया है। आदिवासी समुदाय आज इनकी महत्ता को समझ कर संकट काल में उपयोग कर रहा है। खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले बाजार में उपलब्ध रिफाइंड तेल के स्थान पर स्थानीय फल महुआ का तेल प्रयोग में लाया जा रहा है। इस वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में यही पद्धति आज किसानों का सहारा बनी हुई है व दुनिया के लिए उदाहरण भी बन सकती है।

बीते समय के साथ विकसित समुदाय आधारित खाद्य प्रबंधन तंत्र आज समुदाय के लिए इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद व आजीविका को सुचारु रूप से चलाए जाने में एक महत्वपूर्ण घटक की भूमिका निभा रहा है। अन्य समुदाय भी इस पद्धति को अपना कर स्वयं तथा अपने परिवार की आजीविका को सतत और समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे कठिन समय में बाजार पर निर्भरता किसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, इसी बात को ध्यान में रख कर स्वयं के स्तर पर टिकाऊ समेकित कृषि पद्धति को अपना कर आदिवासी समुदाय ने सच्ची खेती के मायने ही बदल कर रख दिये हैं। उक्त उदाहरण यह प्रस्तुत करते हैं कि गाँधी जी के स्वराज की जनजातीय जीवन शैली ही असामायिक संकटो के समय एवं बिना बाहरी निर्भरता के समाज को सुरक्षित रख सकती हैं। वाग्धारा का सच्ची खेती का विचार आज उपयोगी परिलक्षित होता दिख रहा है व इस प्रकार के उदहारण समाज के लिए समझने के लिए पर्याप्त है।

प्रभुलाल गरासिया
आनन्दपुरी

• कोरोना गीत •

भाईयों ने बोनों, काका ने मासी, जो सोरअ् हो या सैया,
जो बी आव्य वैगरे थकी, हेण्डी ने मारा भाई ने बुने,
जो तमे आवी नेमली गया हो गरे मारा भाई ने बाई,
तो तमे आली दोगा आ रोग, बीजअ् ने मारा भाई ने बाई,
अटले तमने ध्यान राकवु है, आवतमें केने बी नी मलवु हे,
उना पाणी अने हाबु थकी, रगडी-रगडी ने झीलवु हे,
सेतरअ ने भी उना पाणी में सरप नाकी ने बोरवअ् हे,
आके, नाके, मुन्डा ने, आक्कों दाडी ने अडवु हे,
हाथअ् ने थोडी-थोडी वार में हाबु थकी धोवअ् हे,
हाते लाइव्या सामान ने 24 घण्टा वैगरे राकवु है,
खावा पिवा नी सिज़े बीजअ् ने हाते बई ने नी खावी है,
खाँसी-सर्दी अने बुकार होतो डाक्टर नी सलाह लेवी हे,
अने सब थकी मोटी वात, ध्यान थकी हामरो मारी वात,
जो बी आइव्य वैगरे थकी, मारा भई अने बुने हे,
14 दाडा हुदी अणने एकले एकले रेवु हे,
मनक ने वेसमे नी जावु हे, कडीये, बाह्नअ्, बारिये, नी अडवु हे।
नोतरअ नी पाडवअ् हे, ने मनक भेगअ नी करवअ् हे,
अटलु ध्यान राकी लोगा तो कोरोना थकी बसी जोगा।
भाईयों ने बोनों, काका ने मासी, कोरोना सेटी भगावो हे,
भाईयों ने बोनों, काका ने मासी, कोरोना सेटी भगावो हे।।

! **छाया जमड़ा** !

हमारी और आपकी आवाज वागड़ रेडियों 90.8 FM

''मै अकेला ही चला था, राही बन मंज़िल पर, मगर लोग जुड़ते गये, कारवाँ बनता गया ।''

आज से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व वाग्धारा संस्था की स्थापना इस वागड़ क्षेत्र की धरा पर हुई और अपनी स्थापना से लेकर वाग्धारा के कार्य लोक कल्याणकारी संकल्पों को लेकर धीरे-धीरे समाज में अपनी उपस्थिती दर्ज कराते गये। अपने उन कार्यकलापों के अलावा वाग्धारा ने यह निश्चय किया की सूचना और शिक्षा के साथ मनोरंजन की बात भी की जाये। और इस हेतू सूचना, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करने के लिये दिनांक 01 अगस्त, 2017 को सामुदायिक वागड़ रेड़ियों 90.8 FM की शुरूआात की गई। इस रेड़ियों के माध्यम से वाग्धारा अपने तीन मूल संकल्पों सच्ची खेती, सच्चा बचपन और सच्चे स्वराज को लेकर जनता-जनार्दन के सामने आई और विभिन्न कार्यक्रमों जैसे खेतीवाड़ी, हमारा लोकतंत्र, सच्चा बचपन, हमारी धरोहर, समस्या समाधान, हमारा स्वास्थ्य और हमारे मेहमान के जरिए अपने इन उद्देश्यों को निरन्तर पूरा कर रही है। हमारे इन कार्यक्रमों में विभिन्न विषय विशेषज्ञ, शख्सियत, वागड़ की धरोहर, वागड़ अंचल की समस्याएँ और उनके समाधान की बातचीत,वार्ता, भेंटवार्ता और साक्षात्कार को हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते है। और आज वागड़ रेड़ियों के प्रसारण को चलते लगभग 3 वर्ष होने को है और इतने वर्षो में लगभग हमारे साथ 250-300 गाँव में रेड़ियों सेट के माध्यम से लगभग 3-3.50 लाख श्रोता जुड़े। इसी कड़ी में अगर हम देश-विदेश की बात करें, तो ऑनलाईन इंटरनेट रेड़ियों एप के माध्यम से विदेशों से भी (कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुबई आदि) 70-80 हजार श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए है। साथ ही वागड़ रेड़ियों 90.8 FM को रेड़ियो गार्डन पर भी सुना जा सकता है।

वर्तमान समय में जहाँ टी.वी., मोबाईल और इंटरनेट का ज़माना है वही रेडियों एक सशक्त माध्यम है, विचारों के आदान-प्रदान का और आदान-प्रदान की इस कड़ी में वागड़ रेडियों 90.8 FM को आप सुन सकते है। प्रातःकालीन सभा में प्रातः 6:00 बजेसे दोपहर 1:00 बजे तक तथा सांयकालीन पुनः प्रसारण सभा में सांय 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक। और इसी तरह वाग्धारा अपनी पूरी टीम को लेकर सूचना के साथ शिक्षा प्रदान करते हुए हमारे पूरे वागड़ क्षेत्र का मनोरंजन कर रही है।

वागड़ रेडियों 90.8 FM को सुनने के लिये प्लेस्टोर पर जाकर एप डाउनलॉड़ किया जा सकता है। इसके लिये आपको प्लेस्टोर पर जाकर टाईप करना होगा। vagadradio90.8 F.M.

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें-
वागड रेडियों 90.8 FM,
मुकाम-पोस्ट कुपड़ा,
वाग्धारा केम्पस,
बाँसवाड़ा (राज.) 327001
फोन नम्बर है -
9460051234
ई-मेल आईडी -
radio@vaagdhara.org

SCAN ME

मार्गदर्शक : दिपक शर्मा, गगन सेठी, नरेन्द्र कुमार | मुख्य संकलक : परमेश पाटीदार | सहसंकलक : जागृती भट्ट | सहायक : नरेश पाटीदार